न्यायालय श्री राजीव कुमार अवर न्यायाधीश अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी, खगड़िया

टी0एस0 65 / 2019

आदेश

21.12.2021 वादी की ओर से पैरवी है साथ ही परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 05 के तहत एक आवेदन दाखिल किया गया है। वाद का पुकार किया गया पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता अनिल कुमार ठाकुर उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 19.02.2021 के आवेदन जो आदेश 22 नियम 04 के तहत दाखिल किया गया है को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रतिवादी सं0 04 की मृत्यु 24.02.2020 को हो गई। वे अपने पीछे अपने विधिक वारिसान के रूप में 01 मो0 प्रभा देवी, जौजे स्व0 दीप नारायण ठाकुर 02 संतोष कुमार ठाकुर, 03 मनतोष कुमार ठाकुर, 04 मन्नु कुमार ठाकुर सभी पुत्र स्व0 दीप नारायण ठाकुर,। आगे कथन किया गया है कि मसोमात प्रभा देवी एवं एक पुत्र संतोष कुमार ठाकुर पूर्व से अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 04 दीप नारायण ठाकुर का नाम वाद पत्र से विलोपित किया जाय और उनके स्थान पर मनतोष कुमार ठाकुर, एवं मन्नु कुमार ठाकुर को विधिक वारिसान के रूप में प्रस्थापित किया जाय।

दूसरी और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथलेश कुमार सिन्हा ने न्यायालय में उपस्थित होकर अभिकथन किया है कि हमको प्रतिउत्तर नहीं देना है। पक्षकार संपर्क में नहीं है। आगे कथन करते हैं कि आवेदन को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। विलंब को माफ करने के लिए आवेदन दाखिल किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए विलंब को माफ करते हुए वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.02.2021 को स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि विहित समय सीमा के अन्दर प्रतिवादी सं0 04 दीप नारायण ठाकुर का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 02.02.2022 वास्ते अग्रिम क्रिया।

लेखापित

अवर न्यायाधीश